पीएचईडी मंत्री ने किया आरएसएनएसएसबी के अध्यक्ष से लंबित भर्तियों को लेकर मंथन

जलदाय में 1675 पदों पर जल्द होगी भर्ती, गर्मियों से पहले अभियंताओं के तबादलों की मिल सकती है विशेष छूट

कोटा में राजावत के एसीई को जबरन दूषित पानी पिलाने के मामले की मांगी जांच रिपोर्ट

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। जलदाय विभाग में जल्द ही 368 जेईएन के साथ करीब 1675 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी की जाएगी। जलदाय मंत्री डॉ. महेश जोशी ने जेईएन तथा अन्य प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में बुधवार को शासन सचिवालय में बैठक कर आरएसएनएसबी के अध्यक्ष से लंबित भर्तियों को प्राथमिकता से पूरा करने का अनुरोध किया। साथ ही जोशी ने विभाग में कर्मियों से पहले तबादलों के लिए विशेष छूट देने के भी संकेत दिए। डॉ. जोशी ने बैठक के बाद अपने चैम्बर में पत्रकारों को बताया कि 368 कनिष्ठ अभियंताओं तथा 1304 अन्य पदों पर भर्ती के लिए शीघ्र विज्ञप्ति जारी की जाएगी। अन्य पदों पर प्रक्रियाधीन भर्तियों के संबंध में भी शीघ्र प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं। विभिन्न पदों के लिए आवश्यक शैक्षणिक तथा अन्य अर्हताओं तथा रिक्त पदों के बारे में अधिकारियों से जानकारी ली गई है, इसका फ्रेम वर्क तैयार करने को कहा गया है। नेजेएस की धीमी गति को समीक्षा की जा रही है। केन्द्र से अन्य राज्यों की तर्ज पर मिशन में हिस्सेदारी बढ़ाने का भी आग्रह किया जा रहा है। जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्रीजी से चर्चा कर गर्मियों से पहले विभाग में तबादलों के लिए विशेष छूट देने का आग्रह करेंगे।

कोटा में भवानी सिंह ने किया राजकार्य में बाधा का प्रयास

डॉ. जोशी ने कोटा में पूर्व एमएलए भवानी सिंह राजावत की ओर से एसीई को जबरन फ्लोराइड युक्त पानी पिलाने की घटना की कड़ी भर्त्सना करते हुए कहा कि ऐसा दुर्व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारियों से इस घटनाक्रम की जानकारी ली है। कुछ लोग होते हैं, जो इस तरह की हरकतें करते हैं। यह पहला राजकार्य में बाधा का प्रयास है, किसी भी जनप्रतिनिधि को ऐसा आचरण शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने का विशेष तर्ज बताने का सबको अधिकार है, सरकार ऐसी हरकतें बर्दाश्त नहीं करेगी। पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी है, जिसके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी।

Form No. 16 [See Regulation 3(2)
Notice Under Rule 2 of Second Schedule to the Income Tax Act 19
DEBTS RECOVERY TRIBUNAL-JAIPUR
1st Floor, Sudarma-II, Kutta Shopping Centre, Tonk Road, Jaipur-302015
Dispatch No. DRT/JPR/(3A) Date
R.C. No. 691 of 2018 Next Date: 11.01.2
Bank of Baroda Versus ...Certificate Holde
M/s Laxmi Garments and Ors. ...Certificate Debto
DEMAND NOTICE
To, 1. M/s. Laxmi Garments, through Proprietor Sh Ajeet Choudhary, s/o Sh. Hari Lal Choudhary, Office Shop NO 10-11, Behind Sunga Setu Pulia Sanganer Jaipur-302029 (Raj.) AND OR Near Sarovar C. Sukhiya, Near Mahara Mandi, Jaipur 302002 (Raj.) 2. Shri. Ajeet Choudhary, s/o Sh. Hari Lal Choudhary, R/o Narain Sarovar C. Sukhiya, Near Mahara Mandi, Jaipur-302002 (Raj.)
In view of the Recovery Certificate issued in O.A. No 491/2018 passed by the Presiding Officer, DRT, Jaipur for an amount of Rs. 15,15,305/- (RC Amount) in words Rs. Fifteen Lakh Sixteen Thousand Three Hundred Five only and interest and cost thereon as per recovery certificate to do upon to deposit receipt of the
Stud